



213hi22

जनता की सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया

विजया एक समाचार पत्र का सम्पादकीय पढ़कर चौंकी और उसने कहा “मैं भारत जैसे सफल लोकतंत्र में रह कर प्रसन्न हूँ।” उसका पिता रामपाल कहता है कि हो सकता है कि मैं ज्यादा शिक्षित नहीं हूँ लेकिन मुझे संदेह है कि हम वास्तव में एक सफल लोकतंत्र हैं। मैं अभी भी कई लोगों को सड़कों पर भीख मांगते और कुपोषित देखता हूँ। “विजया यह कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है कि यह सच है, पर कम से कम हम मतदान के द्वारा दूसरी सरकार को ला तो सकते हैं। दुनियां में कई देश लोकप्रिय सरकार लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोकतंत्र, भारत में अपनी जड़े मजबूत कर चुका है।”

भारतीय पिछले छः दशकों से नियमित रूप से चुनावों में सहभागी बनते रहे हैं, तथा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों का निर्वाचन करते रहे हैं। चुनाव में मतदान राजनीतिक सहभागिता का एक औपचारिक और साधारण तरीका है। जन सहभागिता तभी प्रभावशाली बनती है जब व्यवस्था जनमत का आदर करती है। एक देश के अन्दर लोगों और विभिन्न समूहों के भिन्न मत हो सकते हैं, कुछ लोग सरकार की कुछ नीतियों और कार्यक्रमों से असहमत हो सकते हैं; इसलिये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिये वाद-विवाद और चर्चा की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहे वह सरकार की आलोचना के रूप में ही क्यों न हो, लोकतंत्र का आधारभूत तत्व है। वास्तव में सरकार की नीतियों के अलग अलग विचारों और रचनात्मक राय से प्रभावित होने से लोकतंत्र समृद्ध होता है। लोकतान्त्रिक सरकार ऐसी सरकार होती है जो चुनाव के माध्यम से व्यक्त जनमत से अपने आपको जीवित रखती है। इस अध्याय में आप लोकतंत्र में जनमत के अलावा चुनाव व्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि के विषय में अध्ययन करेंगे।



उद्देश्य

इस अध्याय को पूरा करने के पश्चात आप सक्षम होंगे :

- लोकतंत्र प्रक्रिया में जन सहभागिता को समझने में;
- जनमत का अर्थ और उसकी व्याख्या करने में;



- जनमत के निर्माण करने वाली एजेंसियों को सूचीबद्ध करने में;
- भारत में कार्यरत निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन करने में;
- चुनाव का अर्थ और उसके प्रकार की चर्चा करने में;
- विभिन्न चुनाव सुधारों की पहचान करने में; और
- सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ और उसके भाव की व्याख्या करने में।

22.1 जन-सहभागिता

आपने लोगों को चुनाव में मतदान करते देखा होगा। क्या आपने किसी चुनाव में मतदान किया? हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिये मतदान करते हैं। ये प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार का निर्माण कर शासन चलाते हैं। सरकार बनाकर ये जन प्रतिनिधि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी से ही हमारा लोकतंत्र एक प्रतिनिध्यात्मक और सहभागी लोकतंत्र बनता है, लेकिन जन सहभागिता का आरम्भ और अंत केवल चुनाव में मतदान करने से नहीं होता। जन सहभागिता अन्य अनेक तरीकों जैसे सार्वजनिक बहस, समाचार पत्रों के सम्पादकीय, विरोध प्रदर्शन तथा सरकार के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी आदि द्वारा भी व्यक्त होती है। चुनाव प्रक्रिया में भी सहभागिता, राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक दलों के लिये कार्य करना, चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने जैसे कई तरीकों से देखने से मिलती है।



चित्र 22.1 एक चुनाव रैली में जन सहभागिता

लोगों का वह व्यवहार जिसके द्वारा वे प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं, जन सहभागिता कहलाता है। यह संकल्पता पर्याप्त रूप से बृहत है जिसके अन्तर्गत चुनावी और गैर चुनावी, दोनों ही प्रकार की भागीदारी आ जाती है। वास्तव में सहभागिता नागरिकों की वे सब कार्यवाहियां हैं जिसके द्वारा वे सरकार की नीतियों को प्रभावित व समर्थन करते हैं अथवा उनकी आलोचना करते हैं। वे ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये करते हैं ताकि उनके प्रतिनिधि उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह हो।



क्रियाकलाप 22.1

नीचे दिये गये प्रश्न 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से पूछिये तथा उनके द्वारा दिये गये उत्तरों को निम्न तालिका में लिखिए।



टिप्पणी

	पहला व्यक्ति	दूसरा व्यक्ति	तीसरा व्यक्ति
क्या आपने पिछले चुनाव में मतदान किया? क्यों और क्यों नहीं किया?			
क्या आपने किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का प्रचार कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया?			
यदि निर्वाचित व्यक्ति द्वारा किये गये वायदे पूरे नहीं किये गये तो क्या आपने सार्वजनिक प्रतिक्रिया व्यक्त की? उदाहरणार्थ सरकार को लिखकर या विरोध रैली में भाग लेकर			

22.2 जनमत: अर्थ, महत्व और इसकी एजेंसियां

जन सहभागिता पर चर्चा से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी के कई तरीके से होती है। इनमें से जनमत सबसे प्रभावशाली तरीका है। आपने जरूर देखा होगा कि लोग अक्सर राजनीतिक दलों, नेताओं और उम्मीदवारों पर चर्चा में शामिल होकर विभिन्न विषयों व मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। वे ऐसा रेल या बस में यात्रा करते हुये या अन्य सार्वजनिक सवालों में करते हैं। वे सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों पर भी चर्चा करते हैं। हम में से कई लोग समाचार पत्रों के सम्पादकों के नाम पत्र लिखकर, विभिन्न मुद्दों पर विरोध रैलियों में भाग लेकर अथवा रेडियो, टीवी पर चर्चा में भाग लेकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इन सभी माध्यमों से व्यक्त किये गये विचार जनमत का रूप धारण कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों या आयामों को प्रभावित करते हैं। जैसे मत व्यवहार, सरकार और प्रशासन की कार्य प्रणाली।

22.2.1 जनमत का अर्थ

क्या “लोगों की आवाज” और जनमत का अर्थ समान होता है? जब आप इन दोनों के विषय में आगे अध्ययन करेंगे तो आप यह समझने में सक्षम होंगे कि वे दोनों समान नहीं होते।

वास्तव में जनमत को अनेक तरीके से परिभाषित किया जाता है। इसके कारण इसकी परिभाषा अत्यधिक जटिल हो जाती है। इस पाठ में हम जनमत को सरल तरीके से समझने और परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। जनमत न तो लोगों की आम सहमति है और न यह बहुसंख्यक की राय है। जनमत, सार्वजनिक विषयों या मुद्दों पर लोगों की सहमति और सुविचारित राय को कहा



टिप्पणी

जाता है। जनमत विभिन्न लोगों की जटिल राय का संग्रह है और सभी विचारों के योगफल के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। काफी हद तक जनमत की विभिन्न परिभाषाओं में निम्नलिखित विशेषतायें पायी जाती हैं

- (क) जनमत विचारों का समूह या समुच्चय है।
- (ख) ये विचार तर्क पर आधारित होते हैं।
- (ग) ये विचार सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।
- (घ) जनमत सरकारी निर्णयों, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली तथा प्रशासनिक संचालन को प्रभावित करता है।



क्या आप जानते हैं

एक अवधारणा में जनमत का उदय अठारहवीं शताब्दी में हुआ। शहरीकरण व अन्य राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के कारण यह अवधारणा अस्तित्व में आयी। ब्रिटिश दार्शनिक जेरेमी बॉथम के द्वारा पहली बार जनमत के सिद्धान्तों का विकास किया गया। उसने कहा कि, जनमत में यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि शासक अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिये कार्य करेंगे।

22.2.2 जनमत : लोकतंत्र में इसका महत्व

लोकतंत्र में जनमत की भूमिका को किसी भी कीमत पर नजरंदाज नहीं किया जा सकता। आप यह पहले ही जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की सत्ता के स्रोत लोग होते हैं और यह शासकों की सहमति के द्वारा वैधता का दावा करती है। लोगों या जनता के समर्थन के बिना कोई सरकार कार्य नहीं कर सकती। जनमत निर्माण की प्रक्रिया सार्वजनिक विषयों पर जागरूकता को प्रोत्साहन और लोगों की राय आमंत्रित करती है। क्या आपको अनुभव है कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण, इसको जीवित रखना और नियंत्रण जनमत के द्वारा तय किया जाता है। जनमत की निम्नलिखित भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है

1. एक जागरूक और स्वतंत्र जनमत असीमित शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है।
2. यह एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करता है कि जिसमें सरकार का एक अंग, दूसरे अंग के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता।
3. यह जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।
4. यह सरकार को जनहित में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
5. यह लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रतिमानों को शक्ति प्रदान करती है।
6. जनमत, अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिये ठीक ही कहा जाता है कि निरंतर सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। उदाहरण के लिये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये प्रत्येक के सतत जागरूक व सावधान रहने की आवश्यकता है।

22.2.3 जनमत: इसका निर्माण करने वाली एजेंसियां/अभिकरण

जैसा कि हम उपर देख चुके हैं, जनमत व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों द्वारा व्यक्त विचारों या राय का साधारण योग मात्र नहीं है। वास्तव में, जनमत इन विचारों और राय के आधार पर निर्मित

मॉड्यूल - 3

लोकतन्त्र की कार्यप्रणाली



टिप्पणी

जनता की सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया

होता है; लेकिन आप दिये गये चित्र में पायेंगे कि जनमत के निर्माण में कई एजेंसियों/अभिकरणों का योगदान होता है। निम्न कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं जो जनमत के निर्माण में सहायता करती हैं।



चित्र 22.2 जनमत के स्रोत

1. **प्रिंट मीडिया/मुद्रण/प्रिंट माध्यम** : अखबार व पत्र-पत्रिका लम्बे समय से जनमत के निर्माण में योगदान देती रही हैं। आप इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि प्रिंट मीडिया/मुद्रण माध्यम में प्रकाशित, लेख, खबरों की कहानियां सम्पादक के नाम पत्र तथा महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर प्रकाशित अन्य विषय या समाचार, व्यक्ति के विचारों व राय को समयानुसार आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न विचारों को समाहित व ठोस रूप प्रदान कर जनमत का विकास करते हैं। ये उपकरण जनमत को सभी सम्बन्धित लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं।
2. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** : सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन व इंटरनेट भी जनमत के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इनके दृश्य व श्रव्य मॉडल देश के दूरस्थ हिस्सों में व्यक्त विचारों को भी सम्मिलित करते हैं। वे विचारों को अत्यधिक प्रतिनिध्यात्मक जनमत में बदलने तथा इसे सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं।
3. **राजनीतिक दल** : राजनीतिक दल जनमत निर्माण के अभिकरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जैसा कि हो सकता है आपने भी अनुभव किया हो प्रायः प्रतिदिन, राजनीतिक दल और नेता जनता के समक्ष कुछ तथ्य और विचार पेश करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों ने सम्बंध चलाये जाने वाली जन जागृति, गतिविधियों के विषय में आप सुनते व देखते रहते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
4. **विधानपालिकायें** : हमारे देश में संसद और राज्य विधानमण्डल जनमत के निर्धारण में योगदान देने वाली प्रभावशाली संस्थायें हैं। जनमत निर्माण में उनका प्रभाव और योगदान, विधानमंडल



टिप्पणी

की चर्चाओं के सीधा प्रसारण के बाद अत्यधिक बढ़ गया है। ये वे स्थान हैं जहां सार्वजनिक नीति और कल्याण सम्बन्धी नाजुक विषयों पर चर्चा एवं बहस होती है। इन्हें देश की बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा देखा और सुना जाता है। विधानपालिका वह संस्था है जो प्रभावपूर्ण विचार प्रदान करती है।

5. **शिक्षण संस्थायें:** विभिन्न शिक्षण संस्थायें भी जनमत निर्माण में सहायता करती हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं का हमारे मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव होता है। ये औपचारिक शिक्षण संस्थायें हमें राजनीतिक शिक्षा प्रदान कर जनमत निर्माण में योगदान देती हैं।



क्रियाकलाप 22.2

हो सकता है आप रंग दे बसन्ती नामक फिल्म देख चुके हों। यह पांच दोस्तों की कहानी है जिनका दोस्त एक लड़ाकू विमान दुर्घटना में मारा जाता है, सरकारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार इस दुर्घटना का मूल कारण नजर आता है। यह घटना उन्हें बेपरवाह और उमंग व उत्साह से जीवन जीने वाले व्यक्तियों से भिन्न हिंसात्मक माध्यम से अपने दोस्त की मौत का बदला लने वाले कृतसंकल्पी युवाओं में बदल देती है।

एक अन्य फिल्म “लगे रहो मुन्ना भाई” में मुम्बई के एक भूमिगत मुखिया ‘अंडरवर्ल्ड डॉन’ मुन्नाभाई को महात्मा गांधी की आत्मा नजर आने लगती है।

महात्मा गांधी के प्रतिबिंब से बातचीत के द्वारा वह गांधी जी के जीवन और विचारों अर्थात् सत्याग्रह, अहिंसा और सच्चाई को व्यवहार में लाकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करने लगता है, इन दोनों ही फिल्मों में मुख्य किरदार किसी नेक काम के लिये अलग-अलग तरीका अपनाते हैं। आपको दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आता है। कारण दीजिए।

नोट : यदि विद्यार्थियों ने ये फिल्में न भी देखी हो तब भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।



पाठगत प्रश्न 22.1

1. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता से आप क्या समझते हैं?
2. क्या “जनमत” और लोगों की आवाज दोनों समान है? अपने उत्तर का कारण बताइये।
3. लोकतंत्र में जनमत के महत्व की व्याख्या कीजिए।
4. ऐसी दो ऐजेंसियो/अधिकरणों को सूचीबद्ध कीजिए जो जनमत के निर्माण में सहायता करते हैं। आपके अनुसार कौन सी एजेंसी/अधिकरण जनमत पर प्रभावशाली असर डालती है।



टिप्पणी

22.3 भारत में चुनाव

आपने, मतदान केन्द्र में मतदान करने के लिये कतार में खड़े नागरिक देखे होंगे। हमारे देश में लोकसभा, विधान सभाओं, पंचायतों तथा नगर निकायों के लिये प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए चुनाव होते हैं। हो सकता है आपने भी ऐसे चुनावों में भाग लिया हो। क्या आप चुनाव को परिभाषित कर सकते हैं? चुनाव उम्मीदवारों के बीच होने वाली एक प्रतियोगिता है जिसके द्वारा वे निकायों या प्रतिनिधिक संस्थाओं में सार्वजनिक पद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विधानमंडल और स्थानीय शासन की निकायों के चुनाव समय-समय पर निश्चित अवधि के बाद होते हैं।

पूरे देश, राज्य या स्थानीय निकाय को कई चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में जो उम्मीदवार अन्य की तुलना में अधिक मत प्राप्त करता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।



चित्र 22.3 एक मतदान केन्द्र पर कतार में खड़े मतदाता



क्या आप जानते हैं

निर्वाचन क्षेत्र एक प्रादेशिक क्षेत्र होता है जिसका संसद, राज्य विधान सभा अथवा स्थानीय निकायों के लिये भारत में अलग-अलग ढंग से परिसीमन होता है। प्रत्येक निर्वाचन/चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है।

उम्मीदवार एक संभावित व्यक्ति है जो चुनाव के माध्यम से कोई पद प्राप्त करना चाहता है। वह एक पदस्थ पदधारी भी हो सकता है जो पुनः निर्वाचित होने के लिये प्रयास कर रहा हो या एक चुनौती देने वाला जो पदस्थ व्यक्ति को पद से हटाकर स्वयं उस पद पर आसीन होना चाहता है या वह एक खुली सीट पर चुने जाने का आकांक्षी भी हो सकता है।

चुनाव घोषणापत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रदान करता है।

22.3.1 चुनावों का महत्व

आपने अनुभव किया होगा कि चुनाव लोगों को लोकतांत्रिक सरकार की कार्यप्रणाली में सक्रिय रूप से सहभागी होने का अवसर प्रदान करते हैं। चुनाव, जनमत को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण



टिप्पणी



क्रियाकलाप 22.3

मुकुन्ददास नामक राजनेता प्रतापपुर से दूसरी बार विधायक हैं। वह उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक दल से सम्बद्ध हैं। विधानसभा की बैठकों में उसकी शत प्रतिशत उपस्थिति है। हालाँकि जहां तक असेम्बली में उसकी सक्रिय भागीदारी का सम्बन्ध है तो उसने सदन में न तो कभी कोई प्रश्न उठाया है और न किसी मुद्दे पर बहस में भाग लिया है। उसने अपने विधायक विकास निधि के 6 करोड़ में से थोड़ी सी राशि ही अपने क्षेत्र की सड़कों और नालों के विकास पर खर्च की है।

देविका सेन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी। वह एक निर्दलीय विधायक हैं अर्थात् वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं हैं। उसके परिवार की उस क्षेत्र में एक कपड़े की मिल है। सदन में उसकी शत प्रतिशत उपस्थिति है, उसने प्रायः सदन में महिलाओं के अधिकार और मजदूर यूनियनों/संघों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये। उसने विधायक विकास निधि में मिले निर्धारित 6 करोड़ की राशि में से 4 करोड़ अपने क्षेत्र के स्कूलों के सुधार पर खर्च किये और बाकी का दो करोड़ रुपया मिलों के आसपास सड़कों, सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण पर खर्च किये।

- ऊपर दी गयी जानकारी के आधार पर नीचे दी गयी तालिका में लिखे आप इन दोनों में से किसे अपना वोट देंगे। अपने निर्णय के समर्थन में कारण दीजिए तथा ऐसे कोई दो तरीके सुझाइये जिससे ये दोनों प्रतिनिधि अपनी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य कर सकते हैं।

उम्मीदवार/प्रतिनिधि	मेरा वोट इस कारण जायेगा	सुधार के लिए सुझाव
मुकुन्द दास		
देविका सेन		
दोनों में से कोई नहीं		

22.3.2 चुनाव के प्रकार

हमने देखा है कि हमारे देश में चुनाव अक्सर होते रहते हैं। लेकिन सभी चुनाव एक समान नहीं होता, भारत में होने वाले चुनावों को दो प्रकार से समझा जा सकता है, प्रथम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में लोग सीधे तौर पर अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को विधायिका निकायों (लोकसभा और राज्य विधान सभाओं और स्थानीय शासन की संस्थाओं) के लिए निर्वाचित करते हैं। हमारे देश में अप्रत्यक्ष चुनाव भी होते हैं। लेकिन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे कुछ विशेष स्थानों/पदों के लिये व्यक्तियों का निर्वाचन करते हैं। भारत का राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्य सभा के सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते



टिप्पणी


हैं। इसके अतिरिक्त राज्य विधान परिषद (जो कि कुछ ही राज्यों में पायी जाती है) के भी कुछ प्रतिशत सदस्य (1/6वां हिस्सा) संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

इसको भिन्न-भिन्न तरीके से देखें तो हमारे देश में चुनाव की तीन प्रकार की श्रेणियां पायी जाती हैं। वे हैं (क) आम चुनाव (ख) मध्यावधि चुनाव (ग) उप चुनाव। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो चुनाव कराये जाते हैं उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। 2009 में हुये लोकसभा को आम चुनाव कहा जा सकता है। यदि विधायिका (लोकसभा और राज्य विधान सभाओं) के चुनाव उनके समय से पहले भंग किये जाने के कारण कराये तो उन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। उदाहरण के लिये लोकसभा के 1991, 1998, 1999 के चुनाव मध्यावधि चुनाव थे। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि द्वारा दिये गये त्यागपत्र या उसकी मृत्यु के कारण रिक्त हुई सीट या न्यायालय द्वारा किसी प्रतिनिधि की सदस्यता रद्द किये जाने की स्थिति में जो चुनाव ऐसी सीटों को भरने के लिये कराये जाते हैं उन्हें उपचुनाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि को विधायिका की बाकी बची अवधि तक के लिये ही निर्वाचित किया जाता है। पी.वी. नरसिम्हा राव को नवम्बर 1991 में आन्ध्र प्रदेश के एक उपचुनाव में निर्वाचित किया गया था।



क्या आप जानते हैं

1. भारत में पहला संसदीय आम चुनाव 1952 में हुआ था तब से लेकर 2009 तक 15 बार लोकसभा के चुनाव (आम और मध्यावधि दोनों तरीके) हो चुके हैं।
2. 1980, 1991, 1998, 1999 के लोक सभा चुनाव मध्यावधि चुनाव थे।
3. भारत में चुनावों के इतिहास में केवल 1979 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव लगभग दो वर्षों के लिये टाले गये।



पाठगत प्रश्न 22.2

1. भारत में चुनावों के महत्व का परीक्षण कीजिए।
2. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनावों से आप क्या समझते हैं?
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
 1. विधायिका की पूरी अवधि के पश्चात जो चुनाव कराये जाते हैं उन्हें कहा जाता है।
 2. विधायिका के भंग होने के परिणामस्वरूप उसकी सामान्य अवधि से पूर्व जो चुनाव कराये जाते हैं उन्हें कहा जाता है।
 3. किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में वहां के प्रतिनिधि के द्वारा त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु या न्यायालय द्वारा रद्द किये गये चुनाव के कारण रिक्त हुये पद को भरने के लिये जो चुनाव कराये जाते हैं; उसे कहा जाता है।

22.4 भारत में चुनाव प्रणाली

कई चुनाव सफलतापूर्वक कराने के कारण भारत प्रशंसा का पात्र रहा है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ है? क्या आपने कभी विचार किया कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कैसे कराये जाते हैं? चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण कौन करता है? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? चुनाव अधिसूचना, नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक का कार्य कौन करता है? विभिन्न पोलिंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर कौन से कर्मचारी होते हैं? वास्तव में भारत में एक विशाल निर्वाचन प्रणाली चुनावों के प्रबंधन में कार्यरत है। आइये इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करें।

22.4.1 भारत का निर्वाचन आयोग

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य एक निष्पक्ष संवैधानिक सत्ता को दिया गया है जिसे निर्वाचन/चुनाव आयोग कहा जाता है। निर्वाचन आयोग एक कानूनी नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनायी गयी संस्था को कानूनी संस्था कहा जाता है जबकि एक संवैधानिक संस्था को शक्ति स्वयं संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। हमारा संविधान चुनाव/निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। चुनाव आयोग का गठन एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर होता है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।



चित्र 22.4 भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए होता है। उनका पद और सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल महाभियोग की प्रक्रिया जैसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिये अपनायी जाती है, के द्वारा हटाया जा सकता है।



टिप्पणी



टिप्पणी

भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं।

1. देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।
2. चुनाव मशीनरी का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना तथा मतदाता सूचियां तैयार करना।
3. राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय/क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में पंजीकृत करना।
4. चुनाव लड़ने के लिये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना।
5. राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव कर्मियों के लिये दिशानिर्देश और आचार संहिता लागू करना।
6. राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम लोगों से प्राप्त चुनाव सम्बन्धी शिकायतों का निवारण करना।
7. चुनाव कर्मियों की नियुक्ति करना।
8. चुनाव के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सलाह व सुझाव देना।

निर्वाचन आयोग अपना कार्य कुछ चुनाव कर्मियों की सहायता से सम्पन्न करता है, इस प्रक्रिया पर निम्न प्रकार से चर्चा की गयी है।

1. चुनाव कर्मी

चुनाव सम्पन्न करने में निर्वाचन आयोग को कई कर्मचारियों द्वारा सहयोग दिया जाता है। निर्वाचन आयोग के अधीन राज्यस्तर पर चुनावों का मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ नौकरशाहों में से निर्वाचन आयोग राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। वह ज्यादातर राज्यों में पूर्णकालिक अधिकारी होता है तथा उसे कुछ सहायक स्टाफ प्रदान किया जाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्य सम्पन्न करने के लिए राज्य के सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव पंजीकरण अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी आदि ये कर्मचारी अपने रोजाना के सरकारी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के अलावा चुनाव का कार्य भी सम्पन्न करते हैं। चुनाव के दौरान वे चुनाव आयोग को लगभग पूरे समय उपलब्ध रहते हैं। इन सबके अलावा तीन प्रमुख चुनाव अधिकारी होते हैं, जिनकी भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण होती है। ये अधिकारी हैं। रिटर्निंग आफीसर, पीठासीन अधिकारी तथा चुनाव अधिकारी।

रिटर्निंग अधिकारी : सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श पर चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया जाता है। यह वह अधिकारी होता है जो (क) चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को प्राप्त कर उनकी जांच करता है। (ख) निर्वाचन आयोग के नाम पर चुनाव चिन्ह प्रदान करता है (ग) निर्वाचन क्षेत्र में अबाध चुनाव कराता है। (घ) मतों की गिनती को सुनिश्चित करता है। (ङ) चुनाव परिणामों की घोषणा करता है।



टिप्पणी

पीठासीन अधिकारी: हर निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्र होते हैं। 800 से 1000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र होता है जिसका प्रबन्ध एक अधिकारी करता है। वह मतदान केन्द्र पर पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करता/करती है और यह सुनिश्चित करता/करती है कि प्रत्येक मतदाता को स्वेच्छा से मतदान करने का अवसर मिले तथा किसी तरह का प्रतिरूपण न हो। मतदान समाप्त हो जाने के बाद वह सभी मतपेटियों पर सील लगाकर उन्हें निर्वाचन अधिकारी को सौंप देता/देती है।

मतदान अधिकारी: प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को मदद करने के लिए तीन या चार अधिकारी होते हैं। जिन्हें मतदान अधिकारी कहते हैं। ये अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि मतदान केन्द्र पर चुनाव सुचारू रूप से हों। वे मतदाता सूची में मतदाता के नाम की जांच करते हैं, मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही लगाते हैं, मतपत्र जारी करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता गुप्तरूप से मतदान करे।



क्या आप जानते हैं

- 1. प्रतिरूपण :** बोगस मतदान कहते हैं। जब कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान गलत पहचान द्वारा वास्तविक व्यक्ति के जगह पर मतदान करता है तो इस गैरकानूनी कार्य को प्रतिरूपण कहते हैं। मतदाता पहचान पत्र द्वारा अनिवार्य पहचान की मदद से प्रतिरूपण को कम किया जा सकता है।
- 2. अमिट स्याही:** इस स्याही को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। इसे मतदाता के दाहिने हाथ के तर्जनी पर लगाया जाता है ताकि वह दुबारा मतदान न कर सके। यह प्रतिरूपण रोकने के लिए किया जाता है।

2. भारत में चुनाव प्रणाली

चुनाव प्रणाली कई चरणों में होने वाली एक लम्बी प्रक्रिया है। आपके लिए चुनाव प्रणाली के विभिन्न चरणों की जानकारी आवश्यक है; जो निम्न है :

1. चुनाव क्षेत्र का परिसीमन पहला कदम है जो आयोग द्वारा किया जाता है।
2. मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन दूसरा कदम है जो समय-समय पर निर्वाचन आयोग की देखदेख में होता है।
3. राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद देश में चुनाव कराने का दायित्व आयोग के ऊपर आ जाता है।
4. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है जिसमें नामांकन पत्र भरने की तारीख, उसकी जांच व वापसी, चुनाव संचालन, मतों की गिनती तथा चुनाव परिणाम की घोषणा शामिल है।
5. प्रत्याशी तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आबंटन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
6. प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार का समय आयोग द्वारा दिया जाता है।



टिप्पणी

7. यदि आवश्यक हो तो किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग में पुनर्मतदान चुनाव आयोग के आदेश पर कराया जाता है।
8. यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नामित प्रत्याशी की नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद तथा मतदान से पहले मौत हो जाती है तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है। चुनाव रद्द करने का आदेश (प्रत्यादेश) निर्वाचन आयोग जारी करता है।
9. किसी प्रत्याशी का अनुचित रूप से नामांकन खारिज करना, चुनाव के दौरान अनुचित या भ्रष्ट साधनों का उपयोग दिखाई देना और मतदाताओं को डराना धमकाना या सरकारी तंत्र का उपयोग जैसे चुनाव विवाद की जांच न्यायपालिका अर्थात् उच्च न्यायालय करता है जिसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

22.4.2 मतदान के उपरांत

आपने गौर किया होगा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर चुनाव के दिन काफी गतिविधियां होती हैं। चुनाव के दिन मतदाता अपने अपने मतदान केन्द्र पर जाते हैं तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा में एक कतार में खड़े होते हैं। मतदान केन्द्र में प्रवेश के बाद मतदाता अपना पहचान पत्र पहले और दूसरे मतदान अधिकारी को दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ तथा महिला मतदाता के दाहिने हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही लगाता है। ऐसा बोगस मतदान या प्रतिरूपण रोकने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा कि प्रतिरूपण एक अपराध है जो कानून द्वारा दण्डनीय है। अधिकारियों द्वारा मतदाता की पहचान हो जाने के बाद उसे एक मतपत्र दिया जाता है जिसमें चुनाव चिन्ह के साथ साथ सभी प्रत्याशियों का नाम शामिल होता है।



चित्र 22.5 एक मतदान केन्द्र में चुनाव का चित्र



22.6 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन



टिप्पणी

मतदाता चुनाव केन्द्र के एक बंद कक्ष में अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर या उसके निकट रबर स्टाम्प लगाकर अपना मत देता/देती है। उसके बाद मतदाता मत पत्र को मोड़कर पीठासीन अधिकारी तथा प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के समक्ष रखी मत पेटी में डाल देता/देती है।

लेकिन यदि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग हो रहा हो तो मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी का संकेत करती हुई मशीन का उपयोग करता है। गोपनीयता रखी जाती है ताकि किसी को यह न पता चल सके कि मतदाता ने किसके पक्ष में मतदान किया है। मतदान के बाद मतपेटी या इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को सील कर दिया जाता है और उसे गिनती केन्द्रों पर भेज दिया जाता है। मतों की गिनती की जाती है तथा जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। जिस प्रत्याशी को चुनाव क्षेत्र के कुल मतों का छठा भाग भी नहीं मिल पाता वह अपनी जमानत राशि खो देता/देती है। यदि किसी प्रत्याशी को यह संदेह हो कि किसी अन्य प्रत्याशी ने भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग किया है तो वह उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सकता/सकती है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग हुआ है तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।



क्या आप जानते हैं

मतपत्र कागज का एक टुकड़ा है जिसपर उनके चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशियों का नाम लिखा होता है। इसका उपयोग मतदाता अपनी पसंद जाहिर करने के लिए करता/करती है।

गुप्त मतदान एक चुनावी तरीका है जिसके द्वारा चुनाव या जनमत संग्रह में मतदाताओं की पसंद गोपनीय रखी जाती है। यह तरीका गोपनीयता का उद्देश्य प्राप्त करने का एक साधन है।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन एक सरल इलेक्ट्रानिक युक्ति है जिसका प्रयोग मतपत्र और मत पेटियों के स्थान पर किया जाता है जिनका प्रयोग पहले पारम्परिक चुनाव प्रणाली में किया जाता था। पहली बार इसका प्रयोग सन् 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सीमित मतदान केन्द्रों (50) में हुआ था। भारत में 2004 के आम चुनाव के दौरान कुल 10.75 लाख इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव कराया गया था।



पाठगत प्रश्न 22.3

1. निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया गया है?
2. आप के अनुसार निर्वाचन आयोग के दो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं?
3. राज्य स्तर से लेकर चुनाव केन्द्र तक मुख्य चुनाव अधिकारी कौन हैं?



4. यदि आपको चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो आप कौन से मुख्य कार्य करेंगे तथा किस प्रकार आप चुनाव क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेंगे?
5. भारत में चुनाव प्रक्रिया के पांच महत्वपूर्ण चरण क्या हैं?

22.5 चुनाव और चुनाव सुधारों में जन सहभागिता

अब तक की चर्चा से हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए चुनावों के महत्व को समझने में सक्षम हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि भारत को एक सजग भागीदारी लोकतंत्र बनाने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता है। अब हम सबसे उल्लेखनीय कारक की चर्चा करेंगे जो चुनावों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायक हुआ है। ऐसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो भारतीय चुनावों के लिए चिंता का विषय है। साथ ही चुनाव सुधारों पर भी चर्चा होगी।

22.5.1 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया। यह बड़ी ही रोचक बात है कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के लगभग 300 वर्षों के बाद सन् 1928 में ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ। लोकतंत्र का घर माने जाने वाले स्वीटजरलैंड में यह सन् 1972 में प्रदान किया गया। हालांकि भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना के प्रारंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है?

इस संदर्भ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सार्वभौमिक का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पर साधारणतया लागू होना। वयस्क का अर्थ है बालिग, बच्चा नहीं। मताधिकार का अर्थ है व्यक्ति का मत डालने का अधिकार। इस तरह वयस्क मताधिकार का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी बालिग लोग, स्त्री और पुरुष बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान का अधिकार रखते हैं। लेकिन सभी वयस्कों में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाता जिन्हें कानूनी रूप से मतदान से बंचित किया गया है।



क्या आप जानते हैं

1. विश्व में न्यूजीलैंड पहला देश था जहां 1893 में सार्वजनिक मताधिकार दिया गया। 1905 में फिनलैंड ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश था।
2. सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जर्मनी में 1919 में स्वीडेन में 1920 में तथा फ्रांस में 1945 में लागू किया गया।

सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा एक व्यक्ति एक वोट के राजनीतिक समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। किसी के पास एक से ज्यादा वोट नहीं होता। यह लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में तथा अधिकारों की रक्षा में सहायक होता है।



टिप्पणी

मताधिकार का सम्बन्ध व्यक्ति की उम्र से है। मतदान के लिए न्यूनतम उम्र विभिन्न देशों में अलग अलग है। इस युग के अधिकांश देशों में जैसे भारत, चीन, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस में यह 18 साल है। जबकि ब्राजील, क्यूबा, निकारागुआ में यह 16 साल तथा इंडोनेशिया, उत्तरी कोरिया तथा सुडान में यह 17 साल है। जापान और ट्युनिशिया में यह 20 साल तथा दक्षिणी कोरिया में 19 साल है। कुवैत, लेबनान, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर में मतदान की आयु 21 वर्ष किन्तु उजबेकिस्तान में यह 25 वर्ष रखी गई है।

22.5.2 चुनाव सुधार

जैसा कि हमने देखा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित भारत की चुनाव प्रणाली में न केवल हमारे मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया है बल्कि एक राजनीतिक दल या दलों के समूह को दूसरे दल या समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके सरलता एवं शांतिपूर्ण ढंग से सरकारें बदलने में भी सहायक हुआ है। हमने यह भी देखा है कि मोटे तौर पर हमारे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। लोगों ने सक्रिय रूप से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। इस तरह चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तथा इसकी अनेक समस्याएं हैं जो न केवल हमारे चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करती हैं। ये निश्चित रूप से चुनाव सुधारों की मांग करती हैं।

वास्तव में लंबी अवधि से चुनाव सुधारों ने संसद, सरकार, आयोग, प्रैस तथा लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अतीत में कानून की स्पष्ट खामियों को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। निकट अतीत के अनुभवों के आधार पर कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए शीघ्रता से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है जैसे (क) चुनावों में हेराफेरी, नकली और फर्जी मतदान, प्रतिरूपण (ख) चुनाव के दौरान हिंसा (ग) धन और बाहुबल की प्रतिकूल भूमिका (घ) मतदाताओं, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को डराना, धमकाना (ङ) सरकारी तंत्र का दुरुपयोग (च) मतदान केन्द्र पर कब्जा तथा चुनाव व राजनीति का अपराधीकरण।



चित्र 22.7 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव



टिप्पणी

इन नकारात्मक गतिविधियों की विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई है और चुनाव सुधारों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वास्तव में, कई चुनाव सुधार लागू किए जा चुके हैं। लेकिन चुनाव की कोई भी व्यवस्था कभी पूर्ण दोषरहित नहीं हो सकती। वास्तविक व्यवहार में चुनाव प्रथाओं में हमेशा खामियां और सीमाएं होंगी। चुनावों को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए हमें कुछ तौर तरीके ढूंढने होंगे। चुनाव सुधार के लिए कई सुझाव विद्वानों, राजनीतिक दलों, सरकार प्रायोजित समितियों तथा विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों से आते रहे हैं।

सुझाए गए चुनाव सुधारों की प्रारंभिक सूची निम्न हैं:

1. बदलते परिप्रेक्ष्य से मेल खाते हुए समय समय पर चुनाव प्रणाली का लोकतंत्रीकरण
2. वोट, सीट असंतुलन को कम करने के लिए प्रचलित बहुलवादी व्यवस्था के स्थान पर किसी एक से आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को लागू करना।
3. “राजनीतिक दल पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करें” यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियमित करना
4. सजा का प्रावधान करते हुए चुनावी कानून को सख्त बनाना
5. चुनावी खर्चों को कम करने के लिए सरकार द्वारा चुनावी व्यय को वहन करना
6. संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का विशेष प्रावधान।
7. चुनाव के दौरान धन और बाहुबल की भूमिका कम करना
8. चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण को रोकना
9. चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर अपील करने पर पूर्ण रोक लगाना।



क्या आप जानते हैं

1. बहुलवादी व्यवस्था में अधिकतम मत पाने वाले प्रत्याशी को चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। एक सदस्यीय तथा बहु सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में यह मत प्रणाली वर्तमान समय में विधायिका के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए प्रयोग की जाती है।
2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक ऐसी चुनाव विधि है जिसके द्वारा जनसंख्या में अनुपात के आधार पर विभिन्न वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इस व्यवस्था में कोई भी गुट यदि वह राजनीतिक दल हो या हित समूह लोकप्रिय वोट से प्राप्त अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है।

निकट अतीत में निर्वाचन आयोग ने कई नई पहल की है। जिसकी ओर पहले इशारा किया जा चुका है। इनमें प्रमुख हैं (क) राजनीतिक दलों द्वारा राज्य स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार की योजना (ख) मत सर्वेक्षण और एक्जिट पोल पर पाबंदी (ग) राजनीति के अपराधीकरण पर रोक (घ) मतदाता सूची का कम्प्यूटरीकरण करना (ङ) मतदाता पहचानपत्र



टिप्पणी

(च) चुनावी खर्चों के रखरखाव तथा प्रत्याशी द्वारा उसे फाइल करने की प्रक्रिया का सरलीकरण
(छ) चुनाव के दौरान प्रतियोगियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए अनेक कदम उठाना। चूंकि हमारी चुनाव प्रणाली ने विपरीत परिस्थितियों में भी सुचारू रूप से काम किया है इसलिए उम्मीद बंध गई है कि हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहेगा और उसमें बेहतरी होगी। हमारे लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध हैं और सम्भावना है कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी।



क्रियाकलाप 22.4

नीचे दी गई प्रश्नावली के आधार पर अपने परिवार के बुजुर्ग या पड़ोसी से साक्षात्कार करके उनसे जानकारी प्राप्त करें कि वे चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं।

1. नाम उम्र
2. पहली बार आपने कब मतदान किया
3. आपने जिस प्रत्याशी को मतदान किया वह आपने कैसे तय किया?
4. आपने कभी किसी राजनीतिक दल का चुनाव घोषणापत्र देखा है। क्या इसने आपको निर्णय लेने में मदद की?



पाठगत प्रश्न 22.4

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक का मत समान रूप से मूल्यवान है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इससे वर्ग, जाति, लिंग तथा धर्म से संबंधित असमानता में कमी आई है?
2. किन्हीं तीन समस्याओं की चर्चा करें जिनसे भारत की चुनाव प्रणाली ग्रसित है।
3. किन्हीं दो चुनाव सुधारों का उल्लेख करें जो आपके अनुसार चुनाव प्रणाली में सुधार लाने के लिए आवश्यक हैं।



आपने क्या सीखा

- हमारे जैसे बड़े देश के लिए प्रतिनिधिक लोकतंत्र वांछनीय है। प्रतिनिधिक सरकार प्रतिनिधित्व के माध्यम से तथा प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए से कार्य करती है। इसलिए चुनाव लोकतंत्र का आधार है।

मॉड्यूल - 3

लोकतन्त्र की कार्यप्रणाली



टिप्पणी

जनता की सहभागिता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया

- चुनावों को मतदाता और मतदान प्रक्रिया की जरूरत है। मतदान का अर्थ है मताधिकार का प्रयोग। आधुनिक लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है) आवश्यक है।
- विधानसभाओं के लिए भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जबकि कुछ पदों, जैसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई है।
- चुनाव प्रक्रिया के कई चरण होते हैं :
- प्रत्याशी द्वारा चुनाव के लिए नामांकन का भरना, नामांकन पत्र की जांच, चुनाव से नाम वापस लेना, चुनाव प्रचार, चुनाव परिणाम इत्यादि।
- मतदान में चुनाव संचालन और निरीक्षण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान है।
- प्रचलित चुनाव प्रक्रिया में कई खामियों के संदर्भ में चुनाव सुधार की आवश्यकता है।



पाठान्त प्रश्न

- 1 लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता से आप क्या समझते हैं?
- 2 जनमत की परिभाषा कीजिए तथा लोकतंत्र में इसके महत्व की विवेचना कीजिए।
- 3 जनमत निर्माण में मदद करने वाले किन्हीं चार एजेंसियों का नाम बताएं। आपके अनुसार जनमत पर किस एजेंसी का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है?
- 4 भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों की भूमिका की जांच करें। देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के चुनावों की विवेचना करें।
- 5 भारत में निर्वाचन आयोग के प्रमुख काम क्या हैं? चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या हैं?
- 6 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? इसके महत्व की व्याख्या कीजिए।
- 7 भारत में जहां हम वर्ग, जाति, लिंग, धर्म पर आधारित अनेक तरह की असमानताएं देखते हैं वहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपके अनुसार कितना सफल है?
- 8 भारत में निर्वाचन प्रणाली के समक्ष मौजूद चार प्रमुख समस्याओं की विवेचना करें।
- 9 क्या भारत में चुनाव सुधारों की तत्काल आवश्यकता है? चुनाव सुधार लाने के प्रमुख सुझाव क्या हैं?
- 10 निर्वाचन आयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करें जिसमें चुनाव प्रचार प्रक्रिया में सुधारों का समावेश हो। योजना आम जनता राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों में असरदार सूचना प्रसार को बढ़ावा दें।



पाठगत प्रश्न के उत्तर



टिप्पणी

22.1

1. जन सहभागिता में चुनाव में मतदान करना शामिल है। पर जन सहभागिता आम बहस, समाचार पत्रों के सम्पादकीय, विरोध प्रदर्शन तथा सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में भी इसमें, प्रचार में भागीदारी, राजनीतिक बहस, राजनीतिक दलों के लिए काम करना तथा प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना, शामिल है।
2. जनता की आवाज और जनमत का समान अर्थ नहीं है। जनमत न तो लोगों की आम सहमति है न ही यह बहुमत की राय है। जनमत जनता से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर संगठित और सोच विचार कर ली गई जनता के राय है। जनमत को विभिन्न लोगों के विचारों का जटिल संग्रह तथा उनकी राय के संकलन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।
3. जनमत लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक लोकतांत्रिक सरकार अपनी सत्ता लोगों से प्राप्त करती है तथा अपना औचित्य शासितों की सहमति से हासिल करती है। आम लोगों के समर्थन के बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकती। जनमत के निर्माण की प्रक्रिया सोच को जन्म देती है, जागरूकता को बढ़ावा देती है तथा आम मुद्दे पर जनता के विचार आमंत्रित करती है। एक सतर्क और स्वतंत्र जनमत निरंकुश सत्ता पर नियंत्रण रखता है और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। यह लोगों के हित में कानून बनाने के लिए सरकार को भी प्रभावित करता है।
4. जनमत निर्माण में सहायक दो एजेंसी हैं : प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया।

22.2

1. चुनाव, लोकतांत्रिक सरकार की कारवाइयों में जनता को सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। वे जनमत की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। क्योंकि ये लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अवसर देते हैं। चुनाव लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं तथा जन हित के मुद्दों से अवगत कराकर उन्हें शिक्षित करते हैं। वे एक राजनीतिक दल या दलों के समूह से दूसरे राजनीतिक दल या समूहों को सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को सुगम बनाते हैं। और जन प्रतिनिधियों की सत्ता को न्यायोचित ठहराकर सरकार को औचित्य प्रदान करते हैं।
2. प्रत्यक्ष चुनाव में लोग अपने मतपत्रों द्वारा विधायी निकायों, लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि कुछ विशेष पदों के लिए मत डालकर लोगों का निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के भी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
3. (क) आम चुनाव (ख) मध्यावधि चुनाव (ग) उपचुनाव



टिप्पणी

22.3

1. निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ चुनाव आयुक्त होते हैं। जिनकी संख्या राष्ट्रपति कानून के अनुसार तय करते हैं। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त हैं।
2. निर्वाचन आयोग के दो प्रमुख कार्य हैं :
 - (क) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव निश्चित करना
 - (ख) संपूर्ण चुनाव तंत्र का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण
3. चुनाव संचालन के लिए निर्वाचन आयोग को मदद करने के लिए कई अधिकारी होते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी हैं: राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी; जिला चुनाव अधिकारी; मतदाता पंजीकरण अधिकारी; सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी।
4. निर्वाचन अधिकारी के मुख्य कार्य निम्न हैं:
 - (क) चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त करना और उनकी जांच करना
 - (ख) निर्वाचन आयोग की ओर से चिन्ह आबंटित करना
 - (ग) चुनाव क्षेत्र में सुचारू रूप से चुनाव का संचालन
 - (घ) मतों की गिनती सुनिश्चित करना
 - (ङ) तथा चुनाव परिणामों की घोषणा।
5. भारत में चुनाव प्रक्रिया के पांच मुख्य चरण हैं :
 1. पहला कदम है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन जो परिसीमन आयोग करता है।
 2. समय समय पर निर्वाचन आयोग की देख रेख में मतदाता सूची की तैयारी और उसका संशोधन दूसरा कदम है।
 3. राष्ट्रपति और राज्यपाल की अधिसूचना के बाद निर्वाचन आयोग देश में चुनाव संचालन का कार्य करता है।
 4. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है जिसके अंतर्गत नामांकन पत्र भरने की तिथि, उनकी जांच, वापसी, मतों की गिनती तथा चुनाव परिणामों की घोषणा शामिल होती है।
 5. प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आबंटन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।

22.4

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी बालिग स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान का अधिकार होता है। विभिन्न तरीके से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने लोगों को वर्ग, जाति, लिंग तथा धर्म के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करके इसने हमारे लोकतंत्र का संवर्धन किया है। आज सभी जाति और धर्म के लोगों को मताधिकार का अवसर प्राप्त है। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे समाज में विषमता

पूरी तरह समाप्त हो गयी है क्योंकि विभिन्न जाति वर्ग तथा लिंग के लोगों के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। वास्तविक समानता तभी लायी जा सकती है जब आम नागरिकों के रवैये और व्यवहार में बदलाव आयेगा और वे अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक स्तर पर भेदभाव मिटा दें।

- 2 भारत में चुनावी प्रणाली के समक्ष तीन समस्याएं हैं :
 - (क) चुनाव में हेराफेरी, नकली और फर्जी मतदान, प्रतिरूपण
 - (ख) चुनाव के दौरान हिंसा और
 - (ग) धन और बाहुबल की प्रतिकूल भूमिका
- 3 (i) राजनीतिक दल पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से काम करें, यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी कार्य प्रणाली को नियमित करना। चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा किए गए खर्च का लेखा परीक्षण करने की आवश्यकता है।
 - (ii) चुनाव संबंधित कानूनों को अधिक सख्त बनाना तथा कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना।



मॉड्यूल IV

समसामयिक भारत : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

23. भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियाँ
24. राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता
25. सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तीकरण
26. पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबन्धन
27. शान्ति और सुरक्षा

